झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004
Phone.: 0651-2400851/2400852/2400979/2401847, Fax-0651-2400850/138,
Web site : www.jspcb.nic.in; e-mail : ranchijspcb@gmail.com

पत्रांकः– ....

रॉंची, दिनांकः–.................

ई–अपशिष्ट (E-Waste) के वृहत उपभोक्ता हेतु आम सूचना

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 [E-Waste (Management) Rules, 2016], यथा संशोधित नियम, 2018 अधिसूचित हैं। (नियम का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.cpcb.nic.in अथवा www.jspcb.nic.in पर उपलब्ध है)
- उक्त नियम के शेड्यूल–1 में अधिसूचित इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे –कम्प्यूटर, लेपटॉप, प्रिंटर, टेलीफोन, उपकरण, सेल्युलर फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कण्डीशनर, सी0एफ0एल0 / मरकरी युक्त लैम्प इत्यादि एवं इनके कम्पोनेंट, इकट्ठा करने, स्टोर करने और प्रोसेसिंग में शामिल सभी निर्माता, प्रोड्यूसर, कन्ज्यूमर, बल्क कन्ज्यूमर, कलेक्शन सेंटर, डीलर्स, ई–रिटेलर, रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर और रिसाईक्लर पर लागू है।
- नियम की धारा 3 (C) में बल्क कन्ज्यूमर की परिभाषा के अनुसार शेड्यूल–1 में वर्णित इलेक्ट्रीकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के थोक उपयोगकर्ता (बल्क यूजर) जैसे केन्द्र सरकार या राज्य शासन के विभाग, पब्लिक सेक्टर, बैंक, शैक्षणिक संस्थायें, मल्टीनेशनल आर्गेनाईजेशन, फैक्टरी अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और लोक उपक्रम या निजी क्षेत्र या प्राईवेट कम्पनीज और हेल्थ केयर फैसीलिटीज जिनका टर्न ओवर एक करोड़ से अधिक हो या बीस कर्मचारी से अधिक हों, आते हैं।
- नियम की धारा 9 के अनुसार कन्ज्यूमर या बल्क कन्ज्यूमर के लिए यह आवश्यक है कि वे उत्पन्न ई–अपशिष्ट को अधिकृत निर्माता, रिफरविशर्स, डिस्मेन्टलर और रिसाईक्लर के माध्यम से डिस्पोजल करें। ई–अपशिष्ट का रिकार्ड फार्म–2 में रखें और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जानकारी प्रतिवर्ष 30 जून तक फार्म–3 में राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करें।
- नियम के पालन का उल्लंधन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–15 के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की कैद या एक लाख रूपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

Rajan

सदस्य सचिव

353

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
T.A. DIVISION BUILDING (GROUND FLOOR), H.E.C., DHURWA, RANCHI -834004
Phone.: 0651-2400851/2400852/2400979/2401847, Fax-0651-2400850/138,
Web site : www.jspcb.nic.in; e-mail : ranchijspcb@gmail.com

पत्रांकः– ....

राँची, दिनांकः–................

सूचना

(ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016)

राज्य में अवस्थित इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) को ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक सूचना दी जाती है कि ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में उल्लेखित नियम 5[1(d)]के प्रावधान के अनुसार शेड्यूल–1 में अधिसूचित इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माता (Producer) को उनके उत्पादों के End of life होने पर पुनः संग्रहण करना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत् विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार (Extended Producer Responsibility Authorization) के लिए प्रारूप–1 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन करना एवं नियम–5 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समस्त उत्तर दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। (Extended Producer Responsibility Authorization) अथवा उत्पादक (Producer), (Brand Owners), आयातकों (Importers) के अधिकृत सर्विस सेन्टर, ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार रिफरविशर की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अतः रिफरविशर को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से नियम–8(2) के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0), नई दिल्ली द्वारा प्रचलित प्रकरण क्रमांक OA No. 512/2018 शैलेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालनार्थ झारखण्ड राज्य में स्थित इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उत्पादकों (Producers), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) आदि को निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली से ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त करके झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को अवगत करावे। उत्पादक (Producer), ब्रांड स्वामी (Brand Owners), आयातकों (Importers) द्वारा आवेदन नहीं करने एवं (Extended Producer Responsibility Authorization) प्राप्त नहीं होने पर उनके विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 एवं संबंधित दिशा निर्देशों का विस्तृत विवरण बोर्ड की कार्यालयीन वेबसाईट http://www.jspcb.nic.in पर उपलब्ध है।

Raj...!

सदस्य सचिव